राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2101/2014/अजमेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–प्रथम,करापवंचन,अजमेर — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स लक्ष्मी कम्पलेक्स
नया बाजार, अजमेर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री ओ.पी.माहेश्वरी
सी.ए. — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 18.10.2016

निर्णय

सहायह वाणिज्यिक कर अधिकारी, (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 123/14–15/वैट/अजमे में पारित आदेश दिनांक 28.10.2014 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 99,990/– आरोपित की है, को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 29.08.2014 को ट्रांसपोर्ट चेंकिग के दौरान वाहन संख्या (टेम्पो) नम्बर आरजे 01/जी–1365 को घूघरा, अजमेर में चेक करने पर उसमें लदे माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर श्री गौरव लोजोस्टिक गुडगांव, हरियाणा की जी आर नम्बर 9216 दिनांक 26.08.2014 मानेसर (हरियाणा) से अजमेर का इनवॉयस नम्बर 0274 दिनांक 26.08.2014 कन्साईनी मैसर्स लक्ष्मी काम्पलेक्स, नया बाजार, अजमेर Goods 3 PCS Energy recovery ventilator (CST @2%)Total Value 3,33,299/-from Vat 47 No. A 4289098 वास्ते जांच प्रस्तुत किये। करापवंचन का सन्देह होने पर माल को वाहन डिटैन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि प्रस्तुत इनवाइस संख्या 0274 में टिन नम्बर की जगह एस टी 47 का नम्बर A 4289098 अंकित किया हुआ है। इस कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया। नोटिस के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत जवाब को अमान्य करते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 99,990/–आरोपित कर आदेश दिनांक 03.09.2014 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट

होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2014 से क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधि के विरूद्ध एवं मामले के तथ्यों के विपरीत है। उनका कथन है कि वक्त प्रस्तुत बिल में टिन नम्बर अंकित करने के बजाय घोषणा पत्र वैट–47 का नम्बर अंकित किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मिथ्या घोषणा की गई है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित प्रकार से शास्ति का आरोपण किया गया है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक, अन्यायिक व गलत कारणों से शास्ति आदेश को अपास्त किया गया है, तथा इसके साथ अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया तथा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन संख्या (टेम्पो) नम्बर आरजे 01/जी–1365 को घूघरा, अजमेर में चेक करने पर उसमें लदे माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर श्री गौरव लोजोस्टिक गुडगांव, हरियाणा की जी आर नम्बर 9216 दिनांक 26.08.2014 मानेसर (हरियाणा) से अजमेर का इनवॉयस नम्बर 0274 दिनांक 26.08.2014 कन्साईनी मैसर्स लक्ष्मी काूम्पलेक्स, नया बाजार, अजमेर Goods 3 PCS Energy recovery ventilator (CST @2%)Total Value 3,33,299/-from Vat 47 No. A 4289098 वास्ते जांच प्रस्तुत किये। करापवंचन का सन्देह होने पर माल को वाहन डिटैन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि प्रस्तुत इनवाइस संख्या 0274 में टिन नम्बर की जगह एस टी 47 का नम्बर A 4289098 अंकित किया हुआ है, जिसको मिथ्या घोषणा किया जाना मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंक वक्त चेकिंग बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र वैट–47 संख्या ए 428098 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं,जिनको किसी भी जांच मिथ्या अथवा फर्जी प्रमाणित नहीं किया गय है। इसके अतिरिक्त बिल्टी एवं बिल दोनों पत्र ही घोषणा पत्र वैट–47 की

संख्या अंकित है,जिससे स्पष्ट है कि उनकी कोई करापवंचन की मंशा नहीं थी टिन नं. के स्थान पर वैट–47 की संख्या अंकित करना एक तकनीकी भूल की श्रेणी में आता है। राजस्थान कर बोर्ड द्वारा **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता–द्वितीय, जोधपुर बनाम मैसर्स ओम केटल फीड्स, पीपाड़ सिटी, आदेश दिनांक 31.10.2002 (2002) 1 आरटी आर 510 (आरटीबी), सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर बनाम मैसर्स श्री माणक इण्डस्ट्रीज, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ आदेश दिनांक 06.03.2002 (2002) 1 आरटीआर 126 (आरटीबी) एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, अजमेर बनाम मैसर्स शंकर एन्टरप्राईजेज, जयपुर आदेश दिनांक 15.03.2002 (2002) 1 आरटीआर 162 (आरटीबी)** में भी यह प्रतिपादित किया है कि छोटी–मोटी तकनीकी भूल के कारण शास्ति आरोपणीय नहीं होती है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्तगत प्रकरण में कोई जांच नहीं की गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **सीटीओ प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर बनाम जुहारमल बाबूलाल न्यायिक दृष्टान्त (2007) 5 वी.एस.टी. 276** में यह व्यवस्था दी गई है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच करना आज्ञापक है। जांच के अभाव में शास्ति आरोपण अविधिक है।

उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक विवेचना के पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण अविधिक है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है तथा अपीलीय अधिकारी का आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य